PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Deccan Chronicle, Hyderabad
Monday 5th January 2015, Page: 13
Width: 8.49 cms, Height: 14.50 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.24.12

NHDC brings silk exhibition to city

DC CORRESPONDENT
HYDERABAD, JAN. 4

National Handloom Development Corp. (NHDC) has organised Silk Fab exhibition in the city to provide a platform for handloom weavers from different states to market their products.

An initiative of the office of the Development Commissioner for Handlooms, ministry of textiles, the exhibition would be open to public from 11 am to 8 pm upto January 7 at Kama Sangham, Ameerpet.

The event, which has seen the participation of 75 agencies from 14 states, will have on sale products such as Pochampalli, Gadwal, Dharmavaram, Paithani, Kanjivaram, Banarasi, Jamdani, Baluchari, and Ikkat, to name a few.

The handloom sector of India employs 45 lakh persons directly or indirectly, which is next only to agricultural sector in the country.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 7
Width: 11.36 cms, Height: 24.50 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.34.89

शिल्प बाजार में दिखी देशभर की 100 शिल्पकलाएं

3D इफेक्ट में आईं वुडन सीनरी

गांधी शिल्प बाजार में अपनी च्वॉइस की कलाकृति निहारती युवती।

ग्वालियर (ब्यूरो, मप्र)। ग्वालियर व्यापार मेले में लगे शिल्प बाजार में असम के बांस में सेट किए गए मिरर और मैसूर राज्य की कला को प्रदर्शित करती थ्रीडी पेंटिंग्स आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये पहला ऐसा मौका है जिसमें किसी राज्य की संस्कृति को थ्रीडी इफेक्ट में उकेरा गया हो। इन पेंटिंग्स में 400 सालों से चले आ रहे मैसूर दशहरा में सोने से सजे हाथियों की सवारी व ग्रामीण परिदृश्य दिखाया गया है। यह पेंटिंग्स मैसूर से आए शिल्पकार कुमेल रोजा अली ने तैयार की हैं।

3 डी इफेक्ट दिखता है

यह सीनरी रोज वुड को डिफरंट शेप में काटते हुए तैयार की गई है, जो तैयार होने के बाद उभरी हुई (3डी) नजर आती है। इसमें कलर की जगह डिफरंट कलर के वुड पीसेस का यूज किया गया है। जैसे लकड़ी के तने का लुक देने के लिए नेचुरल कलर वुड, व्हाइट शेड देने के लिए सिल्वर वुड, स्काई को दिखाने के लिए डार्क ब्लू वॉस वुड आदि।

बांस के फ्रेम में सजाया दर्पण

■ वहीं मेले में असम से लाए गए बांस की हाउसहोल्ड आइटम्स को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इसमें बांस का मिरर, चूड़ी, पेन होल्डर, वॉल हैंगिग, फ्लॉवर पॉट और लेम्प शामिल किए गए हैं और यह 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक में सैलानी इनको खरीद सकते हैं।

600 रुपए से है इनकी शुरुआत

» सैलानी इन सीनरी को 600 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक में खरीदकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। ये सीनरी छोटे से लेकर बड़े साइज में उपलब्ध हैं।

कई राज्यों की कला लाई गई है प्रदर्शनी में

» इस शिल्प मेले में देशभर के आए शिल्पकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कनार्टक, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार से आए 100 शिल्पकार शामिल हैं।

यह भी हैं खास

» नागपुर की हैंडमेड और नेट रंगोली, आंध्र प्रदेश के गोट (बकरी) लेदर के लैंप, वॉल हैंगिग (लटकन), पपेट, ग्वालियर के जूट क्राफ्ट से तैयार किए गए टैडी बीयर झूले, की रिंग, पर्स और वॉकर, मानसिक रोगी द्वारा तैयार किए वुलन ड्रेस और हैंडी क्राफ्ट आर्टिकल्स, कश्मीर की पश्मीना शॉल और वूलन बेडशीट, राजस्थान की ज्वेलरी, जूती, धोती और कुर्ता, चंदेरी की साड़ी, पटियाला का फुलकारी वर्क ड्रेस मटेरियल, लखनऊ का चिकन वर्क, असम का फर्नीचर और होम डेकोरेटर आर्टिकल, हिसार की जूतियां, आगरा के लेदर शूज, इंदौर का बाग, बुटिक प्रिंट और खादी ड्रेसेस आदि।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 8
Width: 17.31 cms, Height: 20.69 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.35.76

अध्यादेश का विकल्प

मोदी सरकार की ओर से जरूरी फैसलों के लिए अध्यादेशों का सहारा लेने के कदम का विश्लेषण कर रहे हैं डॉ. निरंजन कुमार

पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के तथाकथित 'आर्डिनेंस राज' पर विपक्ष और मीडिया की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो पहली बार आर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार से ही शुरू हुई। अपने शासनकाल के आरंभ से लेकर 2014 के अंत तक मोदी सरकार ने 9 अध्यादेश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है, जो तात्कालिक होने के साथ-साथ दूरगामी भी हैं। इन पर विचार करने से पहले यह समझा जाए कि यह अध्यादेश क्या बला है? इसकी सांविधानिक स्थिति क्या है? और लोकतंत्र के लिए इसके परिणाम क्या हैं? यह सर्वविदित है कि हमारे देश में विधायन अर्थात कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका अर्थात सरकार को भी विधायी शक्तियां दी गई हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वह इस संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेशों का प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा ही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की लगभग सभी शक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद यानी सरकार की शक्तियां ही हैं, अर्थात अध्यादेश भी एक तरह से सरकार ही जारी करती है। इन अध्यादेशों की सीमा यह है कि इनकी अवधि संसद के अगले सत्र के शुरू होने से छह सप्ताह तक ही वैध होती है और इसके बाद वे निष्प्रभावी हो जाते हैं अगर इसके पूर्व संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इससे संबंधित विधेयक का अनुमोदन न कर दें। हालांकि किसी अध्यादेश को पुनः भी जारी किया जा सकता है।

वर्तमान 'आर्डिनेंस राज' विवाद से एक प्रश्न तो यही उठता है कि क्या किसी अध्यादेश को जारी किया जाना नैतिक रूप से उचित और वैधानिक है? देखा जाए तो तकनीकी और वैधानिक दृष्टि से अध्यादेश लाने में ऐसी कोई बाधा नहीं, अगर सचमुच ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अतीत में भी विभिन्न सरकारों ने इस शक्ति का प्रयोग किया था, और तो और लोकतंत्र के प्रहरी कहे जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू तक ने दो सौ से ज्यादा बार इसका प्रयोग किया। इंदिरा गांधी ने भी दो सौ से ज्यादा बार तो एक अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्री

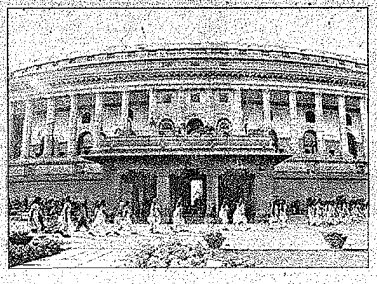

संसद का अधिकार

कानून निर्माण संसद का सर्वाधिकार है और कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग एक तरह से संसद एवं लोकतंत्र को कमजोर ही करेगा

नरसिंह राव ने सौ बार से ज्यादा अध्यादेश जारी किया। इस तरह विपक्ष मोदी सरकार पर अध्यादेश संबंधी आरोप लगाने का नैतिक अधिकार खो चुका है। फिर वर्तमान सरकार के कुछ अध्यादेश तो प्रशासनिक-सरकारी कार्यकुशलता के लिए उठाए गए, जैसे ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाने वाला अध्यादेश या आर्बिट्रेशन कानून, अथवा टेक्सटाइल कानून को संशोधन करने वाले अध्यादेश इसी श्रेणी के है। कुछ अध्यादेश जरूर विवादस्पद हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। किसी भी तरह के कानून बनने के पहले यह जरूरी है कि उसकी बारीकियों, हानि-लाभ पर पूरी तरह से बहस हो और यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के चलने पर ही संभव है। धर्मांतरण और अन्य सांप्रदायिक मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने संसद के शीत-सत्र की कार्रवाई चलने ही नहीं दी थी। इस रूप में सरकार और विपक्ष, दोनों ही इस स्थिति के जिम्मेदार हैं। सरकार जहां इन कट्टरवादी हिंदू संगठनों पर लगाम नहीं कस पाई वहीं विपक्ष का इन मुद्दों पर संसद को चलने ही न देना उतना ही आपत्तिजनक था। विपक्ष अन्य तरीकों से भी सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकता था।

अध्यादेश लाने के बावजूद सरकार को निश्चिंतता नहीं हो सकती, क्योंकि संसद के अगले सत्र में इन पर तलवार गिर सकती है। सरकार के पास दो विकल्प हैं। या तो इनको दोनों सदनों में पारित करवाकर कानून में तब्दील कर ले, जो कि वर्तमान हालत में एक टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रहा है और दूसरा विकल्प यह है कि इन अध्यादेशों को पुनः लाया जाए। अगला प्रश्न यही उठ खड़ा होता है कि क्या किसी अध्यादेश को पुनः जारी किया जाना उचित और वैधानिक है। वैसे तो तकनीकी रूप से इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन किसी अध्यादेश को बार-बार जारी करना एक तरह से संसदीय मर्यादा को कम करना है, क्योंकि अध्यादेश का जो अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है वह एक विशेष व्यवस्था है और जिसे विशेष परिस्थितियों में ही लाया जाना चाहिए। हालांकि पूर्व में भी विभिन्न सरकारों ने अध्यादेशों को पुनः जारी किया था। मसलन संप्रग सरकार सेबी अध्यादेश को दो बार और सिक्योरिटीज कानून अध्यादेश को तीन बार लाई थी। इसके बाद ही इन अध्यादेश से संबंधित विधेयक संसद के सदनों से पारित हो पाए थे। मोदी सरकार भी इस राह पर चल सकती है, लेकिन अंततः तत्संबंधी विधेयकों को संसद के सदनों से पास तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल तक और अनंत बार किसी अध्यादेश को जारी नहीं किया जा सकता।

अन्य संभावित नए अध्यादेशों के संदर्भ में एक सवाल राष्ट्रपति की संतुष्टि का भी है। हालांकि मंत्रिपरिषद या सरकार की संतुष्टि में ही राष्ट्रपति की संतुष्टि भी निहित है, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो यह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है। पिछले साल राष्ट्रपति ने संप्रग सरकार से दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों की संसद और विधानसभा की सदस्यता बरकरार रखने वाले अध्यादेश का औचित्य पूछा था और सरकार बैक फुट पर आ गई थी। अंततः सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था। राष्ट्रपति का यह कदम सरकार पर एक बड़ा नैतिक दबाव और प्रश्नचिह्न बनाती है, जिसकी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर स्पष्टीकरण मांगकर ऐसा ही एक संकेत राष्ट्रपति ने वर्तमान सरकार को भी दे दिया है। कानून निर्माण संसद का सर्वाधिकार है और कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग एक तरह से संसद एवं लोकतंत्र को कमजोर ही करेगा।

(लेखक दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Deccan Herald, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 7
Width: 16.55 cms, Height: 9.68 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.44.58

TN youth for dhoti culture

CHENNAI, DHNS: Five months after the Tamil Nadu government protested against the denial of entry to a high court judge at a city club for wearing Dhoti, the traditional attire has become popular among the youth, with the Gen-X celebrating "Dhoti-day" on Tuesday with joy and enthusiasm.

Though the "Vesti Day" is observed by the state-owned Co-optex every year, it was not popular among youngsters.

On Tuesday, many students across Tamil Nadu wore dhoti to college.

"I feel proud wearing the dhoti, which symbolises the culture of Tamil Nadu," said G Venkatesh, a third-year student at a private college.

BRIGHT AND BREEZY: Students from a private college in Chennai are clad in dhotis to celebrate 'Vesti Day' on Tuesday. DH PHOTO

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Times of India, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 18
Width: 8.19 cms, Height: 17.02 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.50.64

Banaras glass beads set to get GI certification

Shailvee.Sharda
@timesgroup.com

Lucknow: Earrings, bracelets and neck-pieces made of multi-coloured glass beads are a handicraft with roots in villages of Varanasi. The exclusivity of these beads called 'kaanch ke moti' would remain intact with Geographical Indication Registry of India agreeing to certify the handicraft.

An application to this effect was presented last year by export promotion commissioner, department of small scale industries and Banaras Glass Beads Association. "The application has been accepted and a gazette notification on it has been issued. The certificate would be awarded after March when the mandatory waiting period is over," said Chinnaraja G Naidu, assistant registrar of Trademarks and Geographical Registration India.

Alok Kanungo—assistant professor, archaeology department, IIT Gandhingar, who has studied the glass beads of India—finds Varanasi glass beads unique. "The technique used in Varanasi, called lamp winding, makes it unique," he said.

The exclusivity of these beads called 'kaanch ke moti' would remain intact with the tag

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

MINT, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 9
Width: 19.30 cms, Height: 18.84 cms, a3r, Ref: pmin.2015-01-07.53.40

PRADEEP GAUR/MINT

Resource pool: *Tamil Nadu has so far registered 24 geographical indications, which include the rights for the popular Kanchipuram silk.*

IP RIGHTS

Tamil Nadu leads in ensuring GI protection in India

BY C.H. UNNIKRISHNAN
ch.unni@livemint.com

MUMBAI

Tamil Nadu has emerged as the top Indian state to protect its natural products and industrial skills by filing the highest number of geographical indications (GI) since India established the system of protecting such intellectual property (IP) rights in 2003.

GI is an IP tag on natural and industrial products and traditional skills that is exclusively associated with a particular place of origin.

This not only protects the commercial rights to these assets but also helps the local community to reap their benefits.

Typically, a GI tag conveys an assurance of quality and distinctiveness, essentially attributable to the fact of its origin.

Tamil Nadu has so far registered 24 geographical indications, which include the rights for the popular Kanchipuram silk and Thanjavur paintings. It has filed 26 more applications for geographical indications that are still pending, taking the total to 50.

Uttar Pradesh and Maharashtra were joint second with 39 GIs (both registered and pending) till December 2014. Goa and Punjab claimed the least with two each.

India, as a member of the World Trade Organization (WTO), enacted the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act in 1999, and the law came into force with effect from September 2003.

A higher number of GI registrations from a state indicates the diverse resource pool and skills set that it can claim for exclusive commercial exploitation.

It also reflects the level of IP awareness in order to protect the traditional assets in the new IP-driven economy.

India's GI registry, which is part of the office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, has for the first time updated the data on total GI registrations and filings in the country from September 2003 to December 2014 (the entire period for which the GI regime has been in effect).

Geographical indications have also been registered in India by foreign countries for tapping the local market. One of the most popular among such foreign assets registered in India is Scotch whisky, registered by the UK since 2009.

Although the Indian GI registry has a list of some 490 geographical indications, there are only nine from overseas. These include Champagne and Cognac from France, Parma ham from Italy, Tequila from Mexico, Porto and Douro from Portugal and the range of wines from Napa Valley in the US.

Some well-known products protected by Indian states include Darjeeling tea, Tirupati laddu from Andhra Pradesh, Muga silk from Assam, Goa's Feni, Kashmir's Pashmina wool, Mysore Agarbathi, Bangalore Blue Grapes, Alleppey Coir and Malabar Pepper.

A GI is registered for an initial period of 10 years, which may be renewed from time to time.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Indian Express, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 16
Width: 16.72 cms, Height: 11.94 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.40.143

At Barefoot College, where skill is valued more than degrees

AMRUTA LAKHE
TILONIA, RAJASTHAN, JANUARY 6

IN the small activity centre in Tilonia, students are hard at work. In one room, six women are busy making cotton sanitary napkins. In another, some women are carefully soldering integrated circuit boards for solar panels. Outside, older women are learning how to stitch handicrafts that are to go on sale.

We are at Barefoot College, an institution that teaches rural men and women, semi-literate to illiterate, how to become solar engineers, paramedics and doctors. Conceptualised by Sanjit Bunker Roy in 1972, the school that started out with the goal of eliminating water scarcity in rural India has been empowering village by making them sustainable. "I went to the wrong school, wrong college and came back with a lot of arrogance," said social activist and founder of the school, Roy at the event where 450 entrepreneurs from across the country have been on the Jagriti Yatra, a train that has carried them across 10 Indian cities to meet local entrepreneurs.

International students undergoing training in solar engineering in Barefoot College's six month programme. AMRUTA LAKHE

"After my education, I had a lot of fancy degrees and was told that I could overcome any problem. Then I went to a village in Bihar to help with the famine in 1966, and that experience of not being able to adapt to even a small village changed my life," said Roy.

Angry at the state of villages, he started an experimental school in Tilonia that would teach basic applications of engineering, medicine and arts to villagers. The school has produced more than 6,500 handpump mechanics, solar engineers, FM radio operators and dentists, astonishingly mostly women. "For people in rural India, a degree is irrelevant. Knowledge is more important. So I wanted to eliminate that question," Roy said.